



पत्रांक:-...../स0को0

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक:- 29.06.2022

विषय- छात्रों को तम्बाकू सेवन के दुष्परिणामों से बचाने हेतु सभी शैक्षणिक संस्थानों (सरकारी एवं गैर सरकारी) में Tobacco Free Educational Institutions (ToFEI) के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी शिक्षण संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त घोषित करने हेतु Tobacco Free Educational Institutions (ToFEI) गाइडलाइन के क्रियान्वयन के संबंध में निदेश प्राप्त हुए हैं। उक्त दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार कृत संकल्पित है। ToFEI गाइडलाइन का प्रमुख उद्देश्य (i) शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों के बीच तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में अधिक जागरूक करना (ii) तम्बाकू परित्याग के लिए उपलब्ध विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी देना (iii) तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग के संबंध में स्थानीय प्रावधानों का बेहतर क्रियान्वयन करना (iv) शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित वैधानिक चेतावनी का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा (v) किशोर एवं युवा वर्ग में तम्बाकू नियंत्रण की गतिविधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के परिसर एवं आस-पास तम्बाकू उत्पाद जैसे सिगरेट, बीडी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी इत्यादि की बिक्री की जाती है। इससे कम आयु के युवाओं एवं छात्रों में धूम्रपान एवं तम्बाकू सेवन की व्यसन को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त किया जाए। कोटपा-2003 की धारा 6B के अनुसार सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित है तथा इसके 100 गज के दायरे में किसी भी तरह का तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अपने स्तर से सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों को निदेशित किया जाय कि जिला स्तर पर ToFEI गाइडलाइन/निर्देशिका के क्रियान्वयन हेतु एक नोडल पदाधिकारी मनोनित किया जाय। नोडल पदाधिकारी को किसी प्रकार की तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो तो तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राज्य सरकार के तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकॉनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीडस) झारखण्ड के प्रतिनिधियों से ईमेल seedsjharkhand@gmail.com के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस पत्र के साथ मार्गदर्शिका (ToFEI Guidelines) एवं शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त करने हेतु की जाने वाली गतिविधियाँ सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि ToFEI गाइडलाइन में वर्णित सभी निदेशों/गतिविधियों को जिला अन्तर्गत सभी शैक्षणिक संस्थानों (सरकारी/गैर-सरकारी) में क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाए।

अनु०:- यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राजेश कुमार शर्मा)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक - 120/स० को०

राँची / दिनांक 29.6.2022

- प्रतिलिपि: 1. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय / माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से इसका अनुश्रवण करेंगे।
3. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि अपने-अपने जिले में ToFEI गाइडलाइन में वर्णित सभी निदेशों/गतिविधियों को सभी शैक्षणिक संस्थानों (सरकारी/गैर-सरकारी) में क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित की जाय तथा मासिक बैठक कर इसकी समीक्षा कर कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।
5. कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकॉनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीडूस), झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।


29/06/22

सरकार के सचिव



RAJESH BHUSHAN
Secretary
Ministry of Health &
Family Welfare

ANITA KARWAL
Secretary,
Deptt. of School Education &
Literacy,
Ministry of Education

AMIT KHARE
Secretary,
Deptt. of Higher Education
Ministry of Education

D.O. No.P.16012/16/2017-TC
18th December 2020

Dear Colleague,

Tobacco use is the single largest cause of preventable deaths and illness worldwide and kills half of its users prematurely, in their most productive age. As per the Global Youth Tobacco Survey (GYTS), 2009, 14.6% of students in India, aged between 13 to 15 years, use tobacco in any form. According to the Global Adult Tobacco Survey (2016-17), 28.6% of adults (15 year and above) in India use tobacco. The tobacco epidemic is estimated to impact about 27 crore tobacco users, mostly younger generation.

2. Government of India has enacted the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulations of Trade and Commerce Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (COTPA), to discourage the use of tobacco, with emphasis on protection of children and young people from being addicted to the use of tobacco. The Act and Rules provide for a ban on smoking in public places and also prohibits sale of tobacco products to or by minors and within 100 yards of an educational institution.

3. Government of India has also launched the National Tobacco Control Programme in 2007-08. School awareness programme is one of the vital components under the National Tobacco Control Programme. In 2019, this Ministry issued "the Guidelines for Tobacco Free Educational Institutions [ToFEI]", with the key objective of providing fresh momentum to implementation of tobacco control initiatives in educational institutions. These guidelines need to be implemented by educational institutions, including schools, colleges/institutes for higher or professional education and universities, both in public and private sector. *A copy of Guidelines is enclosed.*

contd..2/-

4. The ToFEI Guidelines lay down the roles & responsibilities of different stakeholders viz. Central Government; State Governments; Educational Institutions and Civil Society Organizations for making the Educational Institutions tobacco free. States are requested to implement this initiative as a priority and issue necessary instructions for implementing these guidelines in all educational institutions.

5. We sincerely hope and believe that through effective coordination between State Education and Health Departments, the "Tobacco Free Educational Institution" initiative will be successful. The effective implementation of ToFEI will go a long way in shaping the behavior of children and young adults, by sensitizing them to the harmful effects of tobacco use and create a healthy and tobacco free environment.

Yours sincerely,



(Rajesh Bhushan)



(Anita Karyal)



16.12.2020

(Amit Khare)

Encls. : A/a

To,

1. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary - Health - All States/UTs.
2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary - Medical Education- All States/UTs.
3. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary - School Education - All States/UTs.
4. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary - Higher Education - All States/UTs.
5. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary - Technical Education - All States/UTs.